संख्या क0स0वि0 211/11-98

प्रेषक,

विशेष सचिव,
कर एवं संस्थागत वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कर एवं संस्थागत वित्त अनु0-5 लखनऊ दिनांक 21, फरवरी, 1998

विषय- उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम-6(3) के अन्तर्गत प्राप्त प्रपत्रों पर उप /सहायक स्टाम्प आयुक्त द्‌वारा अपेक्षित कार्यवाही ।

महोदय,

कृपया अपर महानिरीक्षक निबंधन के अर्ध्दशा0 पत्र संख्या 24107/ बैठक दिनांक 27-12-97 का संदर्भ ले, जिसके संलग्नक में बिन्दु संख्या 2 के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि निबन्धन के पश्चात उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 6 के अन्तर्गत निर्धारित / प्राप्त प्रपत्र आदि पर उप/ सहायक स्टाम्प आयुक्त द्‌वारा परीक्षण /जांच /स्थल निरीक्षण कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित होनी चाहिए|

2-उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समस्त उप/ सहायक आयुक्त स्टाम्प उक्त नियम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत प्राप्त प्रपत्र होने का परीक्षण/जांच/स्थल निरीक्षण आदि द्‌वारा सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित विलेख में कमी स्टाम्प शुल्क तो नही है । यदि स्टाम्प शुल्क का अपवंचन है तो उनके द्‌वारा स्टाम्प विधि अनुसार तत्काल कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए ।

कृपया अपने स्तर से समस्त उप/ सहायक स्टाम्प आयुक्त /जिला निबंधक को तद्‌नुसार निर्देशित कर दे|

सत्य प्रतिलिपि

भवदीय

(राधेश्याम)

ह०/–

अधीक्षक
स्टाम्प विभाग
राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद

(पी0के0 सारंगी)
विशेष सचिव।